न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51/2021

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

1. हीराराम पुत्र नगाराम
2. हरीराम पुत्र नगाराम
3. श्रीमती कनको पत्नी नगाराम

जाति कलबी निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

1. कृष्णाराम पुत्र जेठाराम
2. हकमाराम पुत्र जेठाराम
3. थानाराम पुत्र जेठाराम
4. दलाराम पुत्र जेठाराम
5. मरेमा पत्नी जेठाराम
6. डामराराम पुत्र आदुराम
7. न्नूदेवी पत्नी आदुराम
8. लूणा पुत्र रायमल
9. श्रवण पुत्र रायमल
10. सुवटी पत्नी रायमल
11. भंवरा पुत्र भूराराम
12. बगदा पुत्र घमडा
13. गजा पुत्र मेरा उर्फ मेहरा
14. पांचू पत्नी मेरा उर्फ मेहरा

जाति मेघवाल निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
15. तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2021/05 दिनांक 05.01.2021 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से14 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 15 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 06.09.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम सोढों

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

की ढाणी के खसरा नंबर 497 रकबा 35–10 बीघा में से 0–15 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा भूमि के खातेदारान कृष्णाराम, हकमाराम, थानाराम, दलाराम पि0 जेठाराम, मरेमा पत्नी जेठाराम, डामराराम वल्द आदुराम, नेनूदेवी पत्नी आदुराम, लूणा, श्रवण पि0 रायमल, सुवटी पत्नी रायमल, भंवरा वल्द भूरा, बगदा वल्द घमंडा, गजा वल्द मेरा, पांचू बेवा मेरा कौम मेघवाल साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी ने दिनांक 04.01.2021 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–15 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भाखरपुरा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम सोढों की ढाणी के खसरा नंबर 497 रकबा 35–10 बीघा भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर खाली है। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1से14 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 468 रकबा 08–11 बीघा [illegible] तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ हैं। इस खेत के पडौस में खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा का खेत मौजा सोढों की ढाण तहसील गुड़ामालानी वाला आया हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उक्त दोनो ही खेतों की बीच ग्राम की सरहद हैं तथा पक्के नेखम तथा मेड़ बनी हुई हैं। रेस्पोडेंट सं. 1से14 द्वारा अपने खसरा नम्बर 497 की भूमि में से 00–15 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई हैं जबकि समर्पणशुदा भूमि मौका पर अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 468 की पैतृक कदीमी कब्जाशुदा भूमि हैं। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि दो ग्रामों की सरहद पर आई हुई हैं तथा अपीलांट्स की कब्जाशुदा भूमि को गलत तरमीम के आधार पर कब्जा लेने पर आमादा हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद सं. 253/2006 अनवान हीराराम बनाम जेठाराम में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 04.10.2012 के प्रभावी होते हुए भी तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि की बिना मौका जांच किये ही राजस्व नियमों के विपरित अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति का आदेश पारित किया गया हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेंट द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के न्यायालय में नेखमबंदी के आवेदन सं. 306/2013 पेश किया। उक्त आवेदन में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 की पालना में तहसीलदार गुडामालानी के आदेश दिनांक 09.07.2021 को पैमाईश हेतु निर्देशित किया गया। पैमाईश कमेटी द्वारा कायम की गई फर्द मौक रिपोर्ट दिनांक 19.07.2021 में स्पष्ट रूप से उक्त दोनों खसरों की भूमि के ओवरलेपिंग होने तथा अपीलकर्तागण के राजस्व वाद संख्या 253/2006 में स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लेख किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद अपीलकर्तागण की भूमि को हथियाने के लिए गैर कानूनी रूप से अपीलधीन आदेश पारित करवाया। दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन आपके द्वार के तहत रेस्पोडेंट संख्या 15 द्वारा अपीलकर्तागण को विवादित भूमि से हटने का कहा तथा नहीं हटने पर कानूनी कार्यवाही की हिदायत दी गई। इस पर अपीलकर्तागण द्वारा सहायक कलक्टर गुडामालानी के निर्णय दिनांक 04.10.2012 की नकल चाही गई जो 26.11.2021 को प्राप्त हुई तथा अपीलधीन आदेश की नकल 08.12.2021 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर यह अपील सर्वप्रथम ज्ञान होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट्स सं. 1से 14 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि उत्तरदातागण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा मौजा सोढों की ढाणी में आई हुई है इसमें से 15 बिस्वा भूमि रास्ते के बाबत बिना शर्त राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कराई गई। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

की भूमि के समर्पण के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा उत्तरदातागण की ओर से प्रस्तुत समर्पण स्वीकार करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई है। अपीलांट्स द्वारा गलत एवं मिथ्या तथ्य उल्लेखित कर न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्ट्या सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. रेस्पोडेंट संख्या 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सोढों की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा भूमि के खातेदारान कृष्णाराम, हकमाराम, थानाराम, दलाराम पि0 जेठाराम, मरेमा पत्नी जेठाराम, डामराराम वल्द आदुराम, नेनूदेवी पत्नी आदुराम, लूणा, श्रवण पि0 रायमल, सुवटी पत्नी रायमल, भंवरा वल्द भूरा, बगदा वल्द घमंडा, गजा वल्द मेरा, पांचू बेवा मेरा कौम मेघवाल साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी ने दिनांक 04.01.2021 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–15 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है और न ही इस अपील के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

8. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा भूमि के खातेदारान कृष्णाराम, हकमाराम, थानाराम, दलाराम पि0 जेठाराम, मरेमा पत्नी जेठाराम, डामराराम वल्द आदुराम, नेनूदेवी पत्नी आदुराम, लूणा, श्रवण पि0 रायमल, सुवटी पत्नी रायमल, भंवरा वल्द भूरा, बगदा वल्द घमंडा, गजा वल्द मेरा, पांचू बेवा मेरा कौम मेघवाल साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी ने दिनांक 04.01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2021 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 0–15 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भाखरपुरा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम सोढों की ढाणी के खसरा नंबर 497 रकबा 35–10 बीघा भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर खाली है। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 पारित किया गया।

9. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 14 द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं। इस समर्पणशुदा भूमि में अपीलांट्स का किसी प्रकार हक हिस्सा नहीं है अपितु स्वयं अपीलांट्स ने ही अपने अपील मीमो में यह उल्लेखित किया है कि अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 468 रकबा 08–11 बीघा ग्राम हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ हैं। इस खेत के पडौस में खसरा नम्बर 497 रकबा 35–10 बीघा का खेत मौजा सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी वाला आया हुआ हैं। उक्त दोनो ही खेतों की बीच ग्राम की सरहद हैं तथा पक्के नेखम तथा मेड़ बनी हुई हैं। रेस्पोडेंट सं. 1से14 द्वारा अपने खसरा नम्बर 497 की भूमि में से 00–15 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई हैं। इसके अलावा अपीलांट्स का मुख्य ऐतराज यह है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा समर्पण की गई भूमि दो गांवों की सरहद पर आई हुई है तथा सीमा पर ओवरलेपिंग होने के कारण विवादित है। इससे यह प्रकट होता है कि मौके पर पैमाईश एवं सीमा का विवाद है जिससे समर्पण किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो सकता है। पैमाईश उपरान्त रेस्पोडेंट्स द्वारा समर्पित की गई भूमि जिस स्थान पर प्रकट होगी वहां सीमा चिन्ह स्थापित हो सकेगा। समर्पण आदेश में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि में से 0–15 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कब्जा छोड़ना प्रकट किया है जिससे अपीलांट्स किसी भी रूप में प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

11. निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested